



**J. C. Bose University of Science and Technology, YMCAs, Faridabad**  
(formerly YMCAs University of Science and Technology)

A State Govt. University established wide State Legislative Act. No. 21 of 2009  
SECTOR-6, FARIDABAD, HARYANA-121006

Ph. 129-2310127 | email:proymcaust@gmail.com | web: [www.jcboseust.ac.in](http://www.jcboseust.ac.in)



GOLDEN JUBILEE YEAR  
(1969-2019)

NEWS CLIPPING: 29.12.2019

NAVBHARAT TIMES

# वाईएमसीए के छात्रों व शिक्षकों ने CAA को दिया समर्थन

## जागरूकता अभियान चलाकर दूर की गलतफहमी

■ एनबीटी न्यूज, फरीदाबाद

जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (वाईएमसीए) के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीए) को अपना समर्थन दिया और इसको लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। इसमें कुलपति प्रो. दिनेश कुमार और कुलसचिव डॉ. एस. के. गर्ग भी मौजूद थे। उन्होंने पिछले दिनों अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि नागरिकता कानून में बदलाव और इसकी संवैधानिक वैधता के बारे में जागरूकता



फैलाने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सीए का उद्देश्य नागरिकता देना है, किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता को रद्द करना नहीं है।

इस वजह से अधिकांश लोग इस अधिनियम के समर्थन में हैं। इसका उद्देश्य पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है।



**J. C. Bose University of Science and Technology, YMCAs, Faridabad**  
(formerly YMCAs University of Science and Technology)

A State Govt. University established wide State Legislative Act. No. 21 of 2009  
SECTOR-6, FARIDABAD, HARYANA-121006

Ph. 129-2310127 | email:proymcaust@gmail.com | web: [www.jcboseust.ac.in](http://www.jcboseust.ac.in)



GOLDEN JUBILEE YEAR  
(1969-2019)

**NEWS CLIPPING: 29.12.2019**

**HINDUSTAN**

# नागरिकता कानून का समर्थन किया

**फरीदाबाद।** जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को समर्थन किया। सीएए को लेकर लोगों में फैली भांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया।

इस अवसर पर कुलपति प्रो दिनेश कुमार और कुलसचिव डॉ. एसके गर्ग भी मौजूद रहे। अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हुई हिंसा की भी निंदा की गई।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नागरिकता को रद्द करना नहीं है। इसका उद्देश्य पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक रूप से उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देना है। इसके लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए।